समक्ष–विद्युत लोकपाल रायपुर छत्तीसगढ़
(पीठासीन अधिकारी – एस.के. सोनी)

अपील प्रकरण क्र. 24 / 2026

संस्थित दिनांक 15 / 04 / 2026

मेसर्स बालाजी एंड संस
द्वारा भागीदार विजय अग्रवाल
आत्मज श्री आर.एस. अग्रवाल
आयु 46 वर्ष, निवासी–ग्राम किरारी
अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग) .... अभ्यावेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग
   छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या.,
   अकलतरा (छ.ग)

2. सहायक अभियंता (वि.के)
   छ.ग.रा.वि.वितरण कंपनी मर्या. अकलतरा .... अनावेदकगण

निर्णय
(दिनांक 27 / 05 / 2026 को घोषित)

1. प्रस्तुत अभ्यावेदन विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बिलासपुर (जिसे आगे विद्युत फोरम कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण क्र. 25016 / 2025 पक्षकार मेसर्स बालाजी विरूद्ध कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा.) संभाग छ.ग.रा.वि.वितरण कंपनी मर्या अकलतरा व अन्य एक (छ.ग) में पारित आदेश दिनांक 06 / 11 / 2025 को निरस्त कर अनावेदकगणों को यह निर्देशित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है कि अभ्यावेदक द्वारा अनावेदक विद्युत कंपनी को माह जनवरी 2025 से माह जून 2025 तक भुगतान की गई विद्युत बिल की अतिरिक्त राशि को उसके भविष्य के विद्युत बिलों में समायोजित करे।

स्वीकृत तथ्यः—

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य इस बिंदु पर विवाद नही है कि अभ्यावेदक अनावेदक विद्युत कंपनी का उपभोक्ता है। अनावेदक विद्युत कंपनी के द्वारा अभ्यावेदक को उसके लघु उद्योग स्टोन क्रेशर के लिए 150 एच.पी. का विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया है जिसका बी.पी. नम्बर 1009082580 है। दिनांक 10/01/2025 को अभ्यावेदक ओर अनावेदक विद्युत कंपनी के मध्य हुये अनुबंध के अनुसार उक्त विद्युत कनेक्शन के भार में वृद्धि करते हुये उसे 200 एच.पी. किया गया। उभय पक्षों के मध्य इस बिंदु पर भी विवाद नही है कि उक्त विद्युत कनेक्शन के लिए उक्त भार वृद्धि के पूर्व और वर्तमान में LV-5:L.V. Industry 5.2.2 में निर्धारित above 25 HP में उल्लेखित टैरिफ के अनुसार विद्युत बिल राशि का भुगतान किया गया है और किया जा रहा है।

3. मामले का प्रमुख विवाद उक्त विद्युत कनेक्शन का माह जनवरी 2025 से माह जून 2025 तक के टैरिफ के संबंध में है। उक्त अवधि का विद्युत बिल अनावेदक विद्युत कंपनी के द्वारा HV Tariff के अनुसार लिया गया है। अभ्यावेदक का यह कहना है कि उक्त अवधि का बिल HV Tariff के अनुसार निर्धारित न होकर पूर्ववत् LV-5:L.V. Industry 5.2.2 में निर्धारित above 25 HP में उल्लेखित टैरिफ के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। मामले के निराकरण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि उक्त अवधि का विद्युत बिल उपरोक्त दोनों में से किस टैरिफ के अनुसार निर्धारित होगा।

4. Tariff schedule for FY 2025-26 की कंडिका 1.1.5 LV-5:L.V. Industry 5.2.2 इस प्रकार हैः—

Category of Consumer		Demand	Energy Charge (Rs. Per kwh)
5.2	Other industries		
5.2.2	Above 25 HP (18.7 kw)	Rs. 150/kw/ month on billing demand	6.80

5. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने Suo-Motu petition No 70 of 2021 में "Miscellaneous and general charges under Section 43,45 and 46 of the Electricity Act, 2003 and relevant provisions of Chhattisgarh State Electricity Supply Code 2011." विषय पर सुनवाई करते हुये दिनांक 16/02/2022 को जो आदेश पारित किया उसका इस मामले से संबंधित सुसंगत अंश इस प्रकार हैः–

13. Approved Miscellaneous and General Charges are provided in following table.

Table-1

APPROVED MISCELLANEOUS AND GENERAL CHARGES

SI.No.	Particulars	Approved charges
P	Supply affording charges (excluding cost of processing fees, service connection charges and security deposit) for new service connections	
3.	LT Industries and other categories not covered above (a) Up to 10 HP (b) (b) Above 10 HP up to 100 HP (c) Above 100 HP up to 150 HP	Rs. 800/- per HP Rs 8000/- + Rs 2000/- per Additional HP or part thereof by which the load exceeds 10 HP Rs 188000/- + Rs 800 per additional HP or part thereof by which the load exceeds 100 HP **Note:** - Expenditure towards extension of line up to 0.5 Km in urban area including DT (wherever required) shall be borne by

		the licensee. However expenditure towards any work beyond this limit applicant shall pay an additional cost@ Rs 300/- per meter.

उक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभ्यावेदक का संस्थान जो एक स्टोन क्रेशर लघु उद्योग है के लिए दिनांक 16 / 02 / 2022 की स्थिति में भार Above 100 HP up to 150 HP होने से affording charges ऊपर उल्लेखित अनुसार LT Industries की कंडिका (C) में उल्लेखित अनुसार थी।

6. पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने Suo-Motu Petition No. 61/2024 में ''Amendment in miscellaneous and general charges order dated 16.02.2022 passed in petition No 70 of 2022" विषय पर सुनवाई करते हुये दिनांक 16 / 02 / 2022 के उक्त आदेश के संबंध में निम्नांकित आदेश पारित कियाः–

12. Accordingly, the Commission decides as under:

(A) Miscellaneous and general charges order dated 16.02.2022 passed in petition no. 70 of 2021

(i) In Sr. No. 13 of the order, Note mentioned in para P (1) (2),(3) & (4) of the Tabl;e-1 (page no 16 & 17) may be deleted.

(ii) In Sr. No. 13 of the order, pare P (3)(c)) of the Table -1 "charges above 100 HP up to 150 HP" be modified as "above 100 HP up to 200 HP"

(B) Supply Code, 2011 and its subsequent amendments.

(i) Maximum contract demand permissible at supply voltage level of 440 volt i.e., of LT consumers shall be 200 HP or

150 KW. However, consumers depending upon their requirement would continue to have option to seek HT supply as specified in Supply Code.

7. दिनांक 20/09/2024 के उक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विषयांकित बिंदुओं पर दिनांक 16/02/2022 का ऊपर उल्लेखित आदेश को विलुप्त कर दिनांक 16/02/2022 की ऊपर उल्लेखित कंडिका (c) में उल्लेखित ''above 100 HP up to 150 HP" को संशोधित कर ''above 100 HP up to 200 HP" कर दिया गया और उपभोक्ता को यह विकल्प दिया गया कि वह अपनी स्थिति को LT Industries के अंतर्गत निरंतर रखे अथवा HT Supply के अधीन रखे। यद्यपि उक्त स्थिति affording charge के संबंध में है किंतु इससे आयोग की यह मंशा भले भांति प्रकट होती है कि 440 वोल्ट वाले विद्युत आपूर्ति वाले विद्युत कनेक्शन की अधिकतम संविदा मांग को 150 HP से बढ़ाकर 200 HP किया जावे, ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या और अभ्यावेदक/उपभोक्ता के मध्य दिनांक 10/01/2025 को निष्पादित अनुबंध पत्र से भी परिलक्षित होता है जिसके द्वारा अभ्यावेदक/उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन की भार वृद्धि को 150 HP से 200 HP किया गया और इनसे यह भी इंगित होता है कि आयोग की मंशा ऊपर उल्लेखित Tariff schedule for FY 2025-26 की कंडिका 1.1.5 LV-5:L.V. Industry 5.2.2 की "Above 25 HP (18.7 kw)" को up to 200 HP तक करने की थी।

8. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पीटिशन न. 95/2024 (T), 96/2024 (T),97/2024 (T), 98/2024 (T) की

सुनवाई करते हुये दिनांक 11/07/2025 को जो आदेश पारित किया उसका इस मामले से संबंधित विषय पर सुसंगत अंश इस प्रकार हैः–

28. As regards rationalisation of tariff categories and category –wise tariff, the Commission has made the following changes in this order as compared to the tariff categories approved in the previous Tariff Order:

a) The Sanctioned Load limit for LT Supply has been increased from 112.50kw to 150 kw (and from 150 HP to 200 HP wherever applicable) and the tariff for LT supply has been made applicable for up to Sanctioned Load of 150 kw.

9. उक्त आदेश के अवलोकन से इस बिंदु पर कोई संदेह नही रहा जाता और आयोग की ऊपर उल्लेखित यह मंशा भी स्पष्ट हो जाती है कि 440 वोल्ट विद्युत सप्लाई वाले विद्युत कनेक्शन की अधिकतम संविदा मांग को 150 HP से बढ़ाकर 200 HP किया गया और 200 HP तक का टैरिफ LT Supply के आधार पर निर्धारित होगा यह भी सुनिश्चित किया गया। अग्रिम प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह है कि उक्त टैरिफ कब से देय होगा ? विवादित अवधि का टैरिफ किस आधार पर देय होगा।

10. दिनांक 11/07/2025 के उक्त आदेश की कंडिका 30 में यह लिखा हुआ है कि उक्त आदेश 01 जुलाई 2025 से लागू होगी। वर्ष 2025–26 के टैरिफ शेड्यूल के प्रारंभ में ही यह लिखा हुआ है कि उक्त शेड्यूल 01 जुलाई 2025 से लागू होगी। 01 जुलाई 2025 के बाद की अवधि के लिए कोई दुविधा नही है। हमें दिनांक 01/07/2025 के पूर्व और दिनांक 10/01/2025 जब भार वृद्धि

150 HP से 200 HP किया गया के पश्चात् की अवधि के संबंध में विचार करना है।

11. उक्त अवधि के टैरिफ के संबंध में CSPDCL के द्वारा आयोग को इस आशय का पत्र लिखा गया की 150 HP से अधिक और 200 HP तक संविदा मांग वाले LT Consumer के लिए आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारित नही किये जाने के कारण बिलिंग में कठिनाई आ रही है इसलिए ऐसे उपभोक्ताओं के लिए Appropriate Tariff निर्धारित किया जावे। उक्त पत्र पर आयोग Suo-Motu Petition No. 15/2025 विचार करते हुये दिनांक 27/03/2025 को निम्नांकित आदेश पारित किया है:-

" 2. The Commission vide order dated 20.09.2024 passed in suo-motu petition no. 61 of 2024 enhanced the limit for maximum contract demand at LT supply voltage level from 112 kW (150 HP) to 150 kW (200 HP).

3. Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) vide letter dated 07.03.2025 has submitted that in the tariff order issued for FY 2024-25, maximum contract demand for LT consumers is limited to 112 kW (150 HP). Therefore, tariff for LT consumers opting for contract demand of more than 112 kW (150 HP) and up to 150 kW (200 HP) has not been determined by the Commission.

4. CSPDCL submitted that after the issue of order dated 20.09.2024 passed in petition no. 61 of 2024, field units are receiving applications for LT supply with contract demand of more than 112 kW (150 HP) and upto 150 kW (200 HP), but due to non-availability of tariff for LT consumers with contract demand more than 112 kW

(150 HP) upto 150 kW (200 HP), CSPDCL is facing difficulty in serving connections to such new applicants.

5. Accordingly, CSPDCL vide letter dated 07.03.2025, has requested the Commission for granting permission for billing consumers having contract demand more than 112 kW (150 HP) and upto 150 kW (200 HP) at the HV tariff of corresponding tariff category.

6. During hearing, CSPDCL has made a submission requesting the Commission for issuing an appropriate tariff for above-mentioned consumers.

7. The Commission has considered the submission of CSPDCL and found that matter is required to be disposed urgently so that pending applications for new connections may be served and appropriately billed.

8. In view of the above, it is provisionally decided that HV tariff of respective tariff category for FY 2024-25 without ToD tariff shall be applicable to contract demand more than 112 kW (150HP) and up to 150 kW (200 HP) subject to adjustments after final order."

12. उक्त का आदेश का क्रियात्मक भाग कंडिका 8 उल्लेखित में है जिसके अवलोकन से यह प्रगट होता है कि आयोग ने उक्त बिंदुओं पर यह अंतरिम आदेश पारित किया की 150 HP से अधिक और 200 HP तक संविदा मांग वाले विद्युत कनेक्शन पर HV tariff of respective tariff category for FY 2024-25 without ToD tariff लागू होगा जो अंतिम आदेश के पश्चात् समायोजित होगा।

13. उक्त मामले में आयोग ने दिनांक 18/09/2025 को अंतिम आदेश पारित किया है जो इस प्रकार हैः–

"3. Representative of CSPDCL prayed to finalize the provisional decision taken in the present matter in order dated 27.03.2025.

4. In order dated 27.03.2025 , the Commission has provisionally decided that HV tariff of respective tariff category for FY 2024-25 without TOD tariff shall be applicable to contract demand more than 112 KW (150HP) and up to 150 KW (200HP) subject to adjustments after final order.

5. After detail deliberation, the Commission finds it appropriate to finalize the provisional taken in order dated 27.03.2025.

14. दिनांक 18/09/2025 के उक्त अंतिम आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 27/03/2025 के आदेश को ही अंतिम माना गया है। अब स्थिति यह है कि दिनांक 27/03/2025 को पारित यह आदेश कि ''150 HP से अधिक और 200 HP तक संविदा मांग वाले विद्युत कनेक्शन पर HV tariff of respective tariff category for FY 2024-25 without ToD tariff" लागू होगा यह स्थिति अंतिम हो गई है। अभ्यावेदक/उपभोक्ता की और से दिनांक 27/3/2025 के आदेश की कंडिका 8 में उल्लेखित शब्द ''subject to adjustments after final order" अर्थान्वयन पर तर्क के दौरान अधिक बल दिया है किंतु मैं उनके तर्क से संतुष्ट नही हूँ। उक्त समायोजन की बात तब पैदा होगी जब अंतिम आदेश में अंतरिम आदेश से भिन्न कोई बात कही जाती किंतु आयोग ने अपने अंतिम आदेश में अपने अंतरिम आदेश को ही अंतिम रूप देते हुये यथावत् रखा है इसलिए समायोजन की कोई बात नही है।

15. आयोग ने दिनांक 11/07/2025 के अपने आदेश में जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, 150 HP से 200HP तक वाले LT Supply से संबंधित उपभोक्ताओं के लिए LT Supply के लिए निर्धारित टैरिफ लागू होने की जो बात कही है वह दिनांक 01/07/2025 के पश्चात् की अवधि के लिए है आयोग ने अपने उक्त आदेश में कही पर भी यह नही कहा है कि उक्त आदेश दिनांक 01/07/2025 के पूर्व के विद्युत कनेक्शनों पर भी लागू होगा, इससे आयोग का दिनांक 27/03/2025 को पारित आदेश की यह मंशा प्रकट होती है कि दिनांक 01/07/2025 के पूर्व की अवधि के लिए ऐसे उपभोक्ता संबंधित केटेरिगी के HV tariff के लिए तय टैरिफ अनुसार बिल अदा करे।

16. अंत में मैं यह उल्लेख करना समीचीन समझता हूँ कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (6) के अधीन गठित Ombudsman की विधिक प्रास्थिति आयोग द्वारा पारित आदेशों का निर्वचन करने की नही है। यह निर्वचन तो समुचित न्यायालय ही कर सकती है। इसी प्रकार आयोग द्वारा पारित आदेश की वैद्यता का परीक्षण किया जाना भी Ombudsman के लिए उचित नही है।

17. उपरोक्त विवेचन उपरांत मैं इस मामले से संबंधित विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह देता हूँ कि अभ्यावेदक/उपभोक्ता का विवादित माह जनवरी 2025 से माह जून 2025 तक का विद्युत बिल अनावेदक विद्युत कंपनी के द्वारा HV Tariff के अनुसार जो लिया गया है वह उचित है उसमें कोई त्रुटि नही है और उक्त संबंध में संबंधित फोरम का आदेश दिनांक 06/11/2025 में कोई त्रुटि नही है।

18. उपरोक्त विवेचन और विचारणीय प्रश्न के निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अभ्यावेदक/उपभोक्ता अपना मामला साबित करने में असफल रहा है। अस्तु प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

उपरोक्तानुसार अभ्यावेदन निराकृत किया गया।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

निर्णय घोषित किया गया

—सही—
(एस.के. सोनी)
विद्युत लोकपाल

—सही—
(एस.के. सोनी)
विद्युत लोकपाल